कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

सब्जी बाजार/स्टैण्ड के लिए बन्दोबस्ती की शर्तें।

1. बन्दोबस्ती की अवधि दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक के लिये होगा।
2. संबंधित बाजारों/स्टैण्ड आदि के सामने अंकित जमानत की राशि **बैंक ड्राफ्ट द्वारा नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची** के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
3. जिन प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों के पास निगम की राशि बकाया होगी, निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसे किसी बकायेदार द्वारा निविदा डाली जाती है, तो उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुये जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. निविदा/बन्दोबस्ती प्रक्रिया के निष्पादनोपरान्त सर्वप्रथम संबंधित सफल निविदादाता को कार्य आवंटन संबंधी L.O.A निर्गत किया जायेगा।
5. इसके पश्चात् नियमानुसार असफल निविदादाता की जमानत राशि (बैंक ड्रफ्ट मूल रूप में) उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर लौटायी जायेगी।
6. पार्किंग, बाजार/हाट बन्दोबस्ती के मामले में डाक के निष्पादनोपरान्त डाक बोली की राशि निम्न प्रकार से जमा की जायेगी।

क्रमांक	राशि		निर्धारित समय
(i)	10 लाख रू० तक	–	100% 24 घण्टे के अंदर
(ii)	10 लाख रु० से ऊपर	–	70% राशि 24 घंटे के अंदर एवं शेष 30% राशि वित्तीय वर्ष के 31 अक्टुबर तक जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा 31 अक्टुबर के पश्चात् निविदा की अवधि स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

नोट :– बन्दोंबस्त राशि का भुगतान **Demand Draft/ RTGS** के माध्यम से करना होगा।

7. बन्दोबस्त राशि के विरूद्ध निर्धारित GST एवं TCS की अतिरिक्त राशि जमा करना होगा।
8. L.O.A निर्गत होने की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। यदि परिस्थिति जन्य, इसमें अवधि विस्तारित करने की आवश्यकता होगी, तो इसके लिये अधोहस्ताक्षरी से विशेष आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किये जायेंगे।
9. एकरारनामा का निबंधन अपने खर्च पर करवाना होगा। एकरारनामा निबंधन के पश्चात ही महसूल वसूली के लिये प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।
10. निर्धारित शर्त्त के उल्लघंन या बिना किसी वैध कारण के राशि जमा करने में विलम्ब करने के लिये एकरारनामा रद्द किया जा सकता है एवं अन्य विपरीत परिस्थिति यथा– विधि व्यवस्था या जनहित के मुददे आने पर एकरारनामा रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. द्वितीय किस्त वसूली के लिये कोई भी नोटिस अलग से कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं भी किया जाएगा। बल्कि शर्त्त में जो तिथि निर्धारित की गई है, उस तिथि का अनुपालन करना संबंधित बन्दोबस्तधारी की जिम्मेवारी होगी।
12. महसूल (टॉल टैक्स) वसूली निगम द्वारा निर्धारित दर पर करना होगा एवं निर्धारित दर के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। एतद् संबंधी सूचना पट्ट पड़ाव स्थल पर प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों को अपने खर्च से लगाना अनिवार्य होगा।

Scanned by CamScanner

13. पड़ाव स्थल से दुकानों या भेण्डर से महसूल वसूली का अधिकार सिर्फ रांची नगर निगम का होगा।

14. बिरसा मुण्डा बस स्टैण्ड में बसों को व्यवस्थित रुप से लगवाना होगा एवं बसों के आवगमन हेतु यातायात व्यवस्थित करने के लिए कम से कम बारह (12) स्वच्छ छवि के कर्मी रखने होगें एवं ITI बस स्टैण्ड में बसों को व्यवस्थित रूप से लगवाना होगा एवं बसों के आवागमन हेतु यातायात व्यवस्थित करने के लिये कम से कम 04 स्वच्छ छवि के कर्मी रखने होंगे जो कि शिफ्ट वार कार्य करेगें। तथा संवेदक के द्वारा उन्हे पहचान पत्र दिया जाएगा। सभी कर्मी ड्रेस में होगें, जिसका रंग एवं प्रकार निगम के द्वारा तय किया जायेगा। बस पड़ाव में खाली बसे निर्धारित स्थान पर ही लगेगी। इस निमित बस स्टैण्ड प्रबंधक एवं नगर प्रबंधक, बाजार शाखा के द्वारा इस संबंध में दिये गये निदेश बाध्यकारी होगें। साथ ही निगम के उच्च पदाधिकारियों के द्वारा समय–समय पर यातायात व्यवस्थित करने के संबंध में दिये गये निदेशों का अनुपालन करना होगा। बन्दोबस्तधारी को उनके स्तर से नियुक्त कर्मियों की सूची, उनकी मासिक उपस्थिति एवं उनकों भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक एवं PF कटौति का दस्तावेज हर माह के अंत तक बाजार शाखा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
निदेश का अनुपालन नहीं करने पर बन्दोबस्ती रद्द करने का अधिकारनिगम के पास सुरक्षित होगा।

15. बस स्टैण्ड की बन्दोबस्ती राशि के अतिरिक्त बिरसा मुण्डा बस स्टैण्ड एवं ITI बस स्टैण्ड के लिये एक–एक लाख रु० Performance Security के रुप में जमा करना होगा एवं शेष बस/टैम्पू स्टैण्ड के लिये 25000/– रू0 Performance Security के रूप में जमा करना होगा।

16. बस स्टैण्ड परिसर में अवैध Vendor (यथा ठेला, खोमचा, गुमटी आदि) पाये जानें पर प्रत्येक दिन के लिए न्यूनतम 2,000/–रु० एवं अधिकतम 25,000/–रू0 अर्थदण्ड बन्दोबस्तधारी के विरूद्ध आरोपित किया जायेगा एवं यह राशि जमा की गयी Performance Security की राशि से समायोजित कर ली जायेगी। Performance Security की राशि समाप्त होनें पर राशि पुनः जमा करनी होगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस मद में शेष राशि संवेदक को वापस कर दी जायेगी।

17. देख–रेख एवं सुरक्षा के लिए कर्मी नियुक्त नहीं करने की स्थिति में 2,000/–रु० प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं इस राशि को Performance Security की राशि से समायोजित कर लिया जायेगा।

18. किसी भी निविदा को वगैर कोई कारण बतायें रदद करने का अधिकार अथवा Negotiation करने का अधिकार निगम को सुरक्षित होगा।

19. आवेदन पत्र के साथ जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/चल–अचल संपति का ब्योरा/संबंधित थाना से अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का दो फोटो/जिला प्रशासन से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं सक्षम पदाधिकारी से निर्गत निवास प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग से निर्गत PAN No. संलग्न करना अनिवार्य होगा।

20. पड़ाव स्थल से वाहनों की चोरी एवं क्षतिग्रस्त होने पर निगम जिम्मेवार नहीं होगा। उसकी जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी ।

21. बन्दोबस्ती स्थल की साफ–सफाई की जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी। निगम द्वारा निरीक्षण के दौरान यह पाया जायेगा कि बन्दोबस्ती स्थल की सफाई नहीं की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 259 के तहत् प्रतिदिन 500/– रू० न्यूनतम अर्थदण्ड लिया जाएगा एवं सफाई स्थल के साफ–सफाई में आने वाले खर्च अलग से वसूल किये

Scanned by CamScanner

जायेंगे। निगम द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड एवं सफाई करने में हुए खर्च की वसूली बन्दोबस्तधारी के द्वारा दिये गये जमानत की राशि से वसूल की जायेगी।

22. बिरसा बस स्टैण्ड के साफ–सफाई हेतू 10 (दस) स्वच्छ छवि के सफाई कर्मी एवं ITI बस स्टैण्ड की साफ–सफाई के लिये 5 (पाँच) सफाई कर्मी सूचीं बस स्टैण्ड प्रबंधक एवं नगर प्रबंधक बाजार शाखा बिरसा मुण्डा बस स्टैण्ड को उपलब्ध कराना होगा। बन्दोबस्तधारी के द्वारा नियुक्त किये गये कर्मियों की सूची, उनकी मासिक उपस्थिति एवं उनकों दिये जाने वाले वेतन एवं PF कटौति का दस्तावेज हर माह के अंत तक बाजार शाखा को उपलब्ध कराना होगा। सफाई व्यवस्था का पर्यवेक्षण भविष्य में Mobile App एवं भौतिक सत्यापन द्वारा किया जाएगा। Mobile App बनाने का खर्च बन्दोबस्तधारी को स्वयं वहन करना होगा।

23. अधिसूचना संख्या 06 / ए0 / न0वि0 / एस0बी0एम0 / यूजर चार्ज 02 / 2015 / 470 दिनांक 15.03.2016 के आदेशानुसार सब्जी बाजार के संवेदकों को प्रत्येक सब्जी विक्रेता से प्रति व्यवसाय दिवस 7 / – रू0 के दर से सफाई शुल्क वसूल कर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

नोटः– मुहरबन्द लिफाफा निविदा समिति एवं निविदाताओं / निविदादाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में खोली जायेगी एवं आवेदक के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही डाक में भाग ले सकते है। यदि निविदादाता के द्वारा अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा ससमय निविदा खोलने के समय उपस्थिति दर्ज नहीं करायी जाती है तो अनुपस्थिति में ही निविदा निष्पादन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिये निगम स्वतंत्र होगा।

अपर नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम,रांची।

नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम,रांची।

Scanned by CamScanner